(14) कोषागार निदेशालय के लेखा संवर्ग के पदों से सम्बन्धित विस्तृत संस्तुतियों कोषागार निदेशालय की संस्तुतियों के साथ दी जायेगी।

(15) विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत विद्यमान अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2. कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
**( अजय अग्रवाल )**
विशेष सचिव।

**381**

## [1][उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक ( राजस्व निरीक्षक ) सेवा नियमावली, 2011

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइज़र कानूनगों) सेवा नियमावली, 1977 और इस विषय पर किन्हीं अन्य नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2011" कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. सेवा की प्रास्थिति.**—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट है।

**3. परिभाषाएँ.**—जब तक विषय या संदर्भ में प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है,

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी जिला के क्लेक्टर से है,

(ग) "परिषद" का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है,

(घ) "आयुक्त" का तात्पर्य किसी डिवीजन के आयुक्त से है,

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ज) "संस्थान" का तात्पर्य राजा टोडरमल सर्वे और लैण्ड रिकार्डस ट्रेनिंग संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश से है,

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

1. अधिसूचना संख्या-4174/1-9-2011, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 द्वारा उक्त नियमावली बनायी गयी।



(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है,

(ट) "सेवा" का तात्पर्य अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा से है,

(ठ) "उप जिला अधिकारी" का तात्पर्य सब-डिवीजन (परगना) के प्रभारी सहायक कलेक्टर से है,

(ड) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,

(ढ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो संवर्ग

**4. सेवा का संवर्ग.**—(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी—

| पद का नाम | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | स्थायी | अस्थायी | योग |
| राजस्व निरीक्षक | 1326 | – | 1326 |

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

भाग-तीन

**भर्ती**

**5. भर्ती का स्रोत.**—सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,

(क) चौरानबें प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख) चार प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त भूमि अर्जन अमीनों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ग) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सर्वेक्षण अमीनों ओर सर्वेक्षण कानूनगों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि सर्वेक्षण अमीनों और सर्वेक्षण कानूनगों के बीच का अनुपात सर्वेक्षण अमीनों और सर्वेक्षण कानूनगों की तत्समय सापेक्ष सदस्य संख्या को दृष्टि में रखते हुए परिषद द्वारा प्रत्येक चयन के समय विनिश्चित किया जायेगा।

**6. आरक्षण.**—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से

विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-चार

## भर्ती की प्रक्रिया

**7. रिक्तियों का अवधारण.**—भर्ती के प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में, परिषद प्रत्येक जिला में होने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या को अभिनिश्चित करने के पश्चात नियम-5 (क) को ध्यान में रखते हुए लेखपालों में से और क्रमशः नियम-5 (ख) और 5 (ग) को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों और भूमि अर्जन अमीनों में से भी पदोन्नति द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। परिषद, नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए की जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

**8. लेखपालों की पात्रता सूची.**—(1) परिषद, प्रत्येक जिले से नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए लेखपालों के, सर्वथा उसकी ज्येष्ठता क्रम में पर्याप्त संख्या में, नामों को भेजने जाने की कलेक्टर से अपेक्षा करेगा। परिषद एक व्यवच्छेदन दिनांक भी अवधारित करेगा और उस दिनांक को या उसके पूर्व नियुक्त सभी लेखपालों को नियम-5 के खण्ड (क) और नियम-6 के अनुसार नाम निर्दिष्ट करने की सभी कलेक्टरों से अपेक्षा करेगा। कलेक्टर उनकी चरित्र पंजियाँ, सुसंगत सेवा अभिलेख और सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाहियाँ, यदि कोई हो, का विवरण भी भेजेगा।

(2) परिषद, प्रत्येक जिला से प्राप्त पात्र लेखपालों की सूची की संवीक्षा करेगा और उनकी ज्येष्ठता के क्रम में लेखपालों के नामों को पुनः व्यवस्थित करके एक अन्तिम पात्रता सूची तैयार करेगा।

परन्तुक, यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 में किसी बात के होते हुए भी, पात्रता सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगी।

**9. भूमि अर्जन अमीनों और सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों की पात्रता सूची.**—परिषद, बन्दोबस्त आयुक्त ओर कलेक्टरों को सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों और भूमि अर्जन अमीनों में से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सूचित करेगा। अभ्यर्थियों की उक्त सूची के साथ ज्येष्ठता सूची और उनकी चरित्र पंजियों के साथ उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक या अपराधिक कार्यवाही यदि काई हो की विस्तृत सूचना परिषद को अग्रसारित की जायेगी।

परिषद, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में भूमि अर्जन अमीनों और सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों, जो नियम-6 के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र है, दो पृथक-पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार करेगा।

**10. पदोन्नति के लिए मानदण्ड और चयन समिति का गठन.**—नियम-5(क), 5(ख) और 5(ग) में उल्लिखित स्रोतों में से सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक-पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर और निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद | अध्यक्ष |
| (2) | अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद | सदस्य |
| (3) | अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उप-भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद | सदस्य |



*टिप्पणी.*—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसरण में किया जायेगा।

**11. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.**—चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की, उनके ज्येष्ठता के क्रम में जैसी कि उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाना है, एक सूची तैयार करेगी। चयन समिति परिषद को सूची अग्रसारित करेगी। परिषद जिलों में विद्यमान रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नियुक्त प्राधिकारी को चयनित अभ्यर्थियों के नाम अग्रसारित करेगा।

भाग-पाँच

## नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

**12. नियुक्ति.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-11 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

**13. परिवीक्षा.**—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा और प्रशिक्षण के लिए संस्थान में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायेगा जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाए :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या अपना प्रशिक्षण संतोष जनक रूप से पूरा नहीं किया है और नियम-15 में यथा विहित अर्हकारी परीक्षा उर्त्तीण नहीं की है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

**14. प्रशिक्षण.**—परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान देगा, जैसा कि परिषद द्वारा नियत किया जाय और तीन माह के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी, जैसी परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

**15. अर्हकारी परीक्षा.**—(1) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायगी।

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिए अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-चार

## भर्ती की प्रक्रिया

**7. रिक्तियों का अवधारण.**—भर्ती के प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में, परिषद प्रत्येक जिला में होने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या को अभिनिश्चित करने के पश्चात नियम-5 (क) को ध्यान में रखते हुए लेखपालों में से और क्रमशः नियम-5 (ख) और 5 (ग) को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों और भूमि अर्जन अमीनों में से भी पदोन्नति द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। परिषद, नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए की जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

**8. लेखपालों की पात्रता सूची.**—(1) परिषद, प्रत्येक जिले से नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए लेखपालों के, सर्वथा उसकी ज्येष्ठता क्रम में पर्याप्त संख्या में, नामों को भेजने जाने की कलेक्टर से अपेक्षा करेगा। परिषद एक व्यवच्छेदन दिनांक भी अवधारित करेगा और उस दिनांक को या उसके पूर्व नियुक्त सभी लेखपालों को नियम-5 के खण्ड (क) और नियम-6 के अनुसार नाम निर्दिष्ट करने की सभी कलेक्टरों से अपेक्षा करेगा। कलेक्टर उनकी चरित्र पंजियाँ, सुसंगत सेवा अभिलेख और सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाहियाँ, यदि कोई हो, का विवरण भी भेजेगा।

(2) परिषद, प्रत्येक जिला से प्राप्त पात्र लेखपालों की सूची की संवीक्षा करेगा और उनकी ज्येष्ठता के क्रम में लेखपालों के नामों को पुनः व्यवस्थित करके एक अन्तिम पात्रता सूची तैयार करेगा।

परन्तुक, यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 में किसी बात के होते हुए भी, पात्रता सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगी।

**9. भूमि अर्जन अमीनों और सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों की पात्रता सूची.**—परिषद, बन्दोबस्त आयुक्त ओर कलेक्टरों को सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों और भूमि अर्जन अमीनों में से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सूचित करेगा। अभ्यर्थियों की उक्त सूची के साथ ज्येष्ठता सूची और उनकी चरित्र पंजियों के साथ उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक या अपराधिक कार्यवाही यदि काई हो की विस्तृत सूचना परिषद को अग्रसारित की जायेगी।

परिषद, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में भूमि अर्जन अमीनों और सर्वेक्षण अमीनों/सर्वेक्षण कानूनगों, जो नियम-6 के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र है, दो पृथक-पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार करेगा।

**10. पदोन्नति के लिए मानदण्ड और चयन समिति का गठन.**—नियम-5(क), 5(ख) और 5(ग) में उल्लिखित स्रोतों में से सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक-पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर और निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद | अध्यक्ष |
| (2) | अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद | सदस्य |
| (3) | अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उप-भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद | सदस्य |



*टिप्पणी.*—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसरण में किया जायेगा।

**11. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.**—चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की, उनके ज्येष्ठता के क्रम में जैसी कि उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाना है, एक सूची तैयार करेगी। चयन समिति परिषद को सूची अग्रसारित करेगी। परिषद जिलों में विद्यमान रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नियुक्त प्राधिकारी को चयनित अभ्यर्थियों के नाम अग्रसारित करेगा।

भाग-पाँच

## नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

**12. नियुक्ति.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-11 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

**13. परिवीक्षा.**—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा और प्रशिक्षण के लिए संस्थान में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायेगा जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाए :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या अपना प्रशिक्षण संतोष जनक रूप से पूरा नहीं किया है और नियम-15 में यथा विहित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

**14. प्रशिक्षण.**—परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान देगा, जैसा कि परिषद द्वारा नियत किया जाय और तीन माह के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी, जैसी परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

**15. अर्हकारी परीक्षा.**—(1) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायगी।

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिए अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि सत्र के दौरान संस्थान के खुले रहने पर वह कम से कम 80 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो। तथापि आपवादिक मामलों में परिषद इस शर्त को उपयुक्त रूप से शिथिल कर सकती है।

(4) यदि कोई व्यक्ति अर्हकारी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे संस्थान में दो माह के अग्रतर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल उन्हीं विषयों में की जायगी, जिनमें अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल रहा हो और ऐसे प्रशिक्षण के अन्त में संस्थान द्वारा एक अनुपूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(5) समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक सत्र में परिषद एक अधिकारी को अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी। अधीक्षक अपनी ओर से निरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास, यदि कोई को सम्मिलित करते हुए कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेगा। अधीक्षक अपने विवेक परया तो परीक्षार्थी को अग्रतर परीक्षा से प्रतिवारित कर सकता है या प्रश्नपत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुए कदाचार के आधार पर ऐसा करने के पूर्व अधीक्षक की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति कारण बताने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा कृत कार्यवाही के विरुद्ध परिषद के समक्ष एक अपील दायर कर सकता है। परिवाद का विनिश्चय इस सम्बन्ध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

16. **स्थायीकरण.**—(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परीवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि—

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और संस्थान से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

17. **ज्येष्ठता.**—सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग-छः

## वेतन इत्यादि

18. **वेतन.**—(1) सेवा में राजस्व निरीक्षक के पद पर व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिए गए है :

| पद का नाम | वेतनमान | | |
|---|---|---|---|
| | वेतन बैन्ड का नाम | तत्सदृश्य वेतन बैन्ड (रुपया) | तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रुपया) |
| राजस्व निरीक्षक | वेतन बैन्ड-1 | 5200-20200 | 2800 |



19. **परिवीक्षा अवधि में वेतन.**—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

भाग-सात

## अन्य उपबंध

20. **संवर्ग का विस्तार.**—सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में एक सामान्य संवर्ग होगा और इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

21. **स्थानान्तरण.**—किसी सब-डिवीजन में राजस्व निरीक्षक का स्थानान्तरण सब-डिवीजनल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिले के भीतर एक सब-डिवीजन से दूसरे सब-डिवीजन में स्थानान्तरण उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। किसी डिवीजन में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण उस डिवीजन के आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जिससे कि किसी जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या परिवर्तित न हो। राज्य के भीतर राजस्व निरीक्षकों के स्थानान्तरण की शक्ति परिषद को होगी।

22. **निवास की बाध्यता.**—राजस्व निरीक्षक अपने हल्का के भीतर ही निवास करेगा जब तक कि उसने सब-डिवीजनल अधिकारी या कलेक्टर से उसके बाहर रहने की अनुमति प्राप्त न कर ली हो।

23. **पक्ष समर्थन.**—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा।

24. **अन्य विषयों का विनियमन.**—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमालवली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

25. **सेवा की शर्तों में शिथिलता.**—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें व मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

26. **व्यावृत्ति.**—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
**(के० के० सिन्हा)**
प्रमुख सचिव।

# The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Exeuctive (Revenue Inspector) Service Rules, 2011[1]

**Miscellaneous**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 4174/1-9-2011 dated 10 October, 2011.

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Supervisor Kanoongos) Service Rules, 1977 and other rules and any orders on the subject, the Governor is pleased to make following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Revenue Inspector) Service Rules, 2011.

Part-I

**General**

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Revenue Inspector) Service Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

2. **Status of the Service.**—The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Revenue Inspector) Service is a subordinate service comprising Group 'C' posts.

**3. Definitions.**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation of Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) "Appointing authority' means the Collector of a District;

(c) 'Board' means the Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(d) 'Commissioner' means the Commissioner of a Division;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India;

(f) Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) 'Institute' means the Raja Todarmal Survey and Land Records Training Institute, Hardoi, Uttar Pradesh;

(i) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(j) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time,

(k) 'Service' means the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Revenue Inspectors) Service;

(l) 'Sub-Divisional Officer' means the Assistant Collector incharge of a Sub-Division;

1. Vide Notification No. 4174/1-9-2011, Lucknow Dated 11 October, 2011



(m) 'Substantive appointment' means an appointment, not being and adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made a after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(n) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

Part-II

**Cadre**

**4. Cadre of Service.**—(1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as follows:

| Name of post | Number of posts | | |
|---|---|---|---|
| | Permanent | Temporary | Total |
| Revenue Inspector | 1326 | - | 1326 |

Provided that—

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper,

Part-II

**Recrutment**

**5. Source of Recruitment.**—Recruitment to the service shall be made from the following sources—

(a) Ninety four percent by promotion from amongst substantively appointed Lekhpals who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment,

(b) Four percent by promotion from amongst substantively appointed Land Acquisition Amins who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(c) Two percent by promotion from amongst substantively appointed Survey Amins and Survey Kanoongos who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment:

Provided that proportion as between Survey Amins and Survey Kanoongos shall be decided by the Board at the time of every selection keeping in view the relative strength of Survey Amins and Survey Kanoongos at that time.

**6. Reservation.**—Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and other categories shall be accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

## Part IV

### Procedure For Recruitment

**7. Determination of vacancies.**—At the beginning of each year of recruitment, the Board, after ascertaining the number of vacancies likely to occur in each district, shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year by promotion from amongst the Lekhpals having regard to rule 5(a) as also from the Land Acquistion Amins and from the Survey Amins/Survey Kanoongos having regard to Rule 5(b) and 5(c) respectively. The Board shall also determine the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with Rule 6.

**8. Eligibility list of Lekhpals.**—(1) The Board shall require the Collectors to send the names of sufficient number of Lekhpals to be nominated from each district strictly in the order of their seniority. The Board shall also determine a cut-of-date and require all the collectors to nominate all the Lekhpals appointed on or before such date, and in accordance with clause (a) of rule 5 and rule 6. The Collector shall also send the character rolls, relevant service records and the details of disciplinary or criminal proceedings, if any, pending against the candidates included in the said list.

(2) The Board shall scrutinize the lists of eligible Lekhpals received from each district and prepare a final eligibility list by rearranging the names of Lekhpals in the order of their seniority:

Provided that notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, the number of persons to be included in the eligibility list shall be three times the number of the vacancies.

**9. Eligibility lists of Land Acquisition Amins and Survey Amins/Survey Kanoongos.**—The Board shall intimate to the Settlement Commissioner and the Collectors, the number of candidates to be nominated from amongst Survey Amins/ Survey Kanoongos and Land Acquisition Amins. The above lists of candidates together with seniority lists and their character rolls hall be forwarded to the Board with detailed information about the disciplinary or criminal proceeding, if any, pending against the candidates included in the said lists. The Board shall draw up two separate eligibility lists of Land Acquisition Amins and Survey Amins/Survey Kanoongos who are eligible for promotion under rule 5(b) and 5(c) read with rule 6, in order of seniority in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time.

**10. Criteria for promotion and Constitution of Section Committee.**—Recruitment by promotion to the service from the sources mentioned in Rule 5(9), 5(b) and 5(c) shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted as follows:

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Commissioner and Secretary Board of Revenue | Chairman |
| (2) | Additional Land Reform Commissioner nominated by the Chairman, Board of Revenue | Member |



| | | |
|---|---|---|
| (3) | Deputy Lind Reform Commissioner nominated by the Chairman, Board of Revenue | Member |

*Note.*—Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall he made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

**11. Procedure for recruitment by promotion.**—The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of their records and, if it considers necessary, it may interview the candidates also. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted. The Selection Committee shall forward the list to the Board. The Board shall forward the names of selected candidates to the appointing authority keeping ill view the number of vacancies existing in the districts.

## Part-V

### Appointment, Training, Probation, Confirmation and Seniority

**12. Appointment.**—(1) The appointing authority shall make appointment in the order in which they stand in the list prepared under rule 11.

(2) If mare than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

**13. Probation.**—(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years and shall be directed to join the Institute for training.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is grained:

Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or lit the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has not completed his training satisfacrtorily and has not passed the qualifying examination as prescribed in rule 15, he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

**14. Training.**—A person appointed on probation shall join the institute on such date as may be fixed by the Board and shall undergo a training for three months. The syllabus and the curriculum of the said training shall be such as determined by the Board from time to time.

**15. Qualifying Examination.**—(1) At the end of the training, a qualifying examination shall be held, arrangements for which shall be made by the Board.

(2) Director of the Institute shall assess the work and conduct of each candidate on the basis of the attendance, monthly tests, conduct and discipline for which some percentage or the total marks fixed for qualifying examination shall be earmarked and the marks obtained by the candidate in this regard will be added to the marks obtained in the qualifying examination.

(3) No candidate shall ordinarily be allowed to appear at the qualifying examination unless he has attended the class for at least eighty percent of the days on which the Institute was open during the session. The Board may, however, suitably relax this condition in exceptional cases.

(4) If a candidate fails at the qualifying examination, he may be allowed a further short training of two months duration at the Institute. Such training shall be arranged only in the subjects in which the candidate has failed at the qualifying examination and a supplementary examination will be held by the Institute at the end of such training.

(5) All the successful candidates shall be given a certificate or the Institute.

(6) At each session the Board shall nominate an officer to work as Superintendent of the qualifying examination. The Superintendent is his turn shall appoint invigilators who shall report to him the cases of misconduct including use of unfair means or attempts, if any, on the part of examinees during examination. The Superintendent may in his discretion either debar the examinee from further examination or order for deduction of marks obtained by him in the particular paper. Before doing so on the ground of misconduct including unfair means the Superintendent shall afford full opportunity of showing cause against the action proposed to be taken. The examinee may file an appeal before the Board against the action taken by the Superintendent. The decision of the Board shall be final and binding in this regard.

**16. Confirmation.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if—

(a) he has successfully undergone the prescribed training and obtained the certificate from the Institute,

(b) his work and conduct is reported to be satisfactory, and

(c) his integrity is certified.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of the rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

**17. Seniority.**—The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

## Part-VI

### Pay Etc.

**18. Scale of pay.**—(1) The scale of pay admissible to persons appointed to the post of Revenue Inspector in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.



(2) The scale of pay at the time of he commencement of these rules are as follows—

| Name of post | Scale of Pay | | |
|---|---|---|---|
| | Name of Pay Band | Corresponding Pay Band (Rs.) | Corresponding Grade Pay (Rs.) |
| Revenue Inspector | Pay Band-1 | 5200-20200 | 2800 |

**19. Pay during probation.**—(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

## Part VII

### Other Provisions

**20. Extent of Cadre.**—There shall be a common cadre in respect of the persons appointed to the service and they shall be liable to be transferred throughout the State of Uttar Pradesh.

**21. Transfer.**—Transfer of Revenue Inspector within a Sub-Division will be made by the Sub-Divisional Officer. Transfer from one Sub-Division to another Sub-Division within the district will be made by the Collector of that district. Transfer from one district to another within a Division will be made by the Commissioner of that Division in such a manner as not to alter the number of posts sanctioned by the Government in any district. The Board shall have power of transfer of Revenue Inspectors within the State.

**22. Obligation of residence.**—The Revenue Inspector shall reside within his halqa unless he has obtained permission of the Sub-Divisional Officer or Collector to reside outside it.

**23. Canvassing.**—No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

**24. Regulation of other matters.**—In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

**25. Relaxation from the conditions of service.**—Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service or persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

**26. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
**(K.K. Sinha)**
Principal Secretary.